

पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना ज०सं०-14/2018- 194

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 01/03/19

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-66-नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180789660545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-69/18-19, दिनांक-14.02.2019, 37/18-19, दिनांक-19.11.2018, 67/18-19 दिनांक-14.02.2019 एवं 31/18-19, दिनांक-22.10.18

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/ 66- नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य 49S470180789660545	162.55

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बासठ लाख पचपन हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध रु. 400.00 लाख (चार करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1362 दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूब)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 194

राँची, दिनांक :-

01/03/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/देवघर/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 194


राँची, दिनांक :- 01/03/19


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक.....

दिनांक 01/03/19

का अनुदानक

परिशिष्ट-1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -66-नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जीर्णोद्धार

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्रकोड- 49S470180789660545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध 400.00 लाख (चार करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गंगा पम्प नहर प्रमंडल साहेबांज (SBIARR016)	देवघर	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का समोषण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन कार्य।	69/18-19 प्रॉस्वी० दिनांक-14.02.2019 Online AA-2122/14.02.19	839.66	0.00	0.00	4.00	4.00	98026	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबांज के कार्यालय एवं डी टाईप क्वार्टर में डीप वोरिंग का कार्य (प्र.स्वी. रु. 8.00 लाख)। गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबांज अंतर्गत एक. टाईप आवासीय परिसर में स्थित कुओं मरम्मत कार्य (प्र.स्वी. रु. 1.54 लाख)। गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबांज अंतर्गत 12 अदर वी टाईप क्वार्टर का निर्माण कार्य (प्र.स्वी. रु. 272.99 लाख)। गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबांज अंतर्गत नया कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्र.स्वी. रु. 152.89 लाख)। गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबांज अंतर्गत 8 अदर एक. टाईप क्वार्टर का मरम्मत समोषण एवं विस्तारीकरण कार्य (प्र.स्वी. रु. 50.59 लाख)। गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबांज अंतर्गत पुराने गोदाम एवं 3 अदर आवासीय भवन की मरम्मत एवं समोषण कार्य (प्र.स्वी. रु. 24.23 लाख)।
						0.00	0.00	1.54	1.54		
						0.00	0.00	50.00	50.00		
						0.00	0.00	25.00	25.00		
						0.00	0.00	10.00	10.00		
योग						0.00	0.00	114.77	114.77		
2	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF59)	देवघर	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का समोषण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन कार्य।	69/18-19 प्रॉस्वी० दिनांक-14.02.2019 Online AA-2122/14.02.19	839.66	0.00	0.00	25.00	25.00	98030	सिंचाई कॉलोनी देवघर स्थित आवासीय भवनों का मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य (प्र.स्वी. रु. 204.76 लाख)।
						0.00	0.00	3.78	3.78		
						योग					
						843.44	0.00	0.00	28.78		
										98033	सिंचाई कॉलोनी देवघर के परिसर में HYDT/Well का निर्माण कार्य।

(सजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध 400.00 लाख (चार करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMAR003)	मेदिनीनगर	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के सम्प्रापण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर एवं मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन कार्य।	37/18-19 प्र०स्वी० दिनांक-19.11.2018 Online AA-1545/19.11.2018	265.60	0.00	0.00	9.00	9.00	98034	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के आवास के बाहरदिवारी, चौकीदार रुम, गैरेज निर्माण एवं रंग-सोपान इत्यादि कार्य (प्र.स्वी. रु. 49.90 लाख)।
4	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHARR004)	मेदिनीनगर	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों के सम्प्रापण, पुरानी भवनों की मरम्मत के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर, परिक्षेत्राधीन कार्य।	67/18-19 प्र०स्वी० दिनांक-14.02.2019 Online AA-2120/14.02.19	670.98	0.00	0.00	10.00	10.00	98035	गढ़वा अवस्थित सिंचाई कालोनी एवं निरीक्षण भवन (कन्हार भवन) तथा नगर ऊँटाये (नया नाम वशीधर नगर) अवस्थित सिंचाई कालोनी एवं निरीक्षण भवन (जल क्रांति भवन) का वार्षिक रख-रखाव एवं सम्प्रापण (प्र.स्वी. रु. 10.00 लाख)।
योग					936.58	0.00	0.00	19.00	19.00		
योग					2619.68	0.00	0.00	162.55	162.55		

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ बासठ लाख पचपन हजार मात्र।

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हिमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह) 28.2.19
अपर मुख्य सचिव

194
01/03/19